



## पंचदश बिहार विधान सभा

### चतुर्दश सत्र

### ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक 24.07.2014 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

1. श्री अनिरुद्ध प्रसाद यादव, स०वि०स० "निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना ने अपने पत्रांक-3240, दिनांक 16.06.2014 के द्वारा सभी जिला पदाधिकारी को पत्र लिखकर पैक्सों में सदस्यता वृद्धि अभियान चलाने का अनुरोध किया है। सदस्यता वृद्धि अभियान को सफल बनाने हेतु निबंधक, सहयोग समितियाँ ने पैक्सों के प्रबन्ध समिति द्वारा सदस्यता वृद्धि अभियान में अभिरूचि नहीं लेने की स्थिति में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं संबंधित विभागीय पदाधिकारियों द्वारा उपरोक्त एवं प्रावधान के तहत इच्छुक व्यक्तियों को पैक्स की सदस्यता दिलाने के लिए सभी जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया है। परन्तु प्रखंड विकास पदाधिकारियों के पास सदस्यता शुल्क प्राप्त करने के लिए रसीद उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण सदस्यता वृद्धि अभियान बढ़ रहा है। पूरे राज्य में एक भी नया सदस्य नहीं बन पा रहा है। पुराने पैक्स अध्यक्षों / विभागीय पदाधिकारियों की मिलीभगत से पूरे राज्य में एक भी नया सदस्य बनने नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण किसानों में भारी रोष है।"

अतः पैक्सों में सदस्यता वृद्धि अभियान की अवधि विस्तार करने एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को पैक्स का सदस्य बनाने के लिए सभी प्रकार का अधिकार प्रदान करने के लिए हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।"

1	2	3	4
---	---	---	---

2. डॉ. उषा विद्यार्थी,  
स०वि०स०

"पटना के पालीगंज प्रखंड में कौरी ग्राम में एक 12 स्वास्थ्य शैक्षात्काला उपस्वास्थ्य केन्द्र था जो तकरीबन 30 बच्चों से बंद है। उसका भवन भी जर्जर हो गया है। डाक्टर भी उपलब्ध नहीं हैं जिसके कारण उस इलाके के लोगों को 10-15 किमी० चलकर पालीगंज अनुमंडलीय अस्पताल आना पड़ता है जिससे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है।

पालीगंज का उक्त इलाका उग्रवाद प्रभावित इलाका है। कौरी ग्राम से चारों तरफ 8 किमी० के अंदर कोई स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है।

अतः पालीगंज प्रखंड के कौरी ग्राम में बंद पड़े उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन का जीर्णोद्धार कराकर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु में सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करती हूँ।"

हरेराम मुखिया

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-27/14-

1099

/ विंस०, पटना, दिनांक-२३ जुलाई, 2014 ई०।

प्रति:-बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / सहकारिता विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. १०९९  
23.7.14  
(नियाज अहमद)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-27/14-

1029

/ विंस०, पटना, दिनांक-२३ जुलाई, 2014 ई०।

प्रति:-अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।

1. १०२९  
23.7.14  
(नियाज अहमद)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।